बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
संचिका संख्या– 11/विविध–6–9/2014

आदेश

धरती ड्रेजिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, प्वाइंट ऑफ भ्यू बी0 एस0, बेगमपेट, हैदराबाद–500016 के द्वारा सारण तटबंध के 117.05 से 124.25 कि0मी0 के बीच पायलट चैनल के ड्रेजिंग कार्य मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान के पत्रांक 946 दि0 29.3.11 द्वारा एवं 947 दि0 24.3.11 द्वारा कि0मी0 142.70 से 152.00 तक पायलट चैनल के ड्रेजिंग कार्य आंवटित किया गया । उक्त कार्य के लिए कम्पनी द्वारा एकरारनामा दि0 15.5.11 को कार्यपालक अभियंता , बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल ठकराहा, शिविर, गोपालगंज से किया गया।

कार्य आवंटन एवं एकरारनामा के पश्चात कार्य की समयबद्ध प्रगति के प्रति कम्पनी की उदासीनता बनी रहीं । एकरारनामा की समाप्ति की निर्धारित तिथि– 31.5.2011 तक कम्पनी द्वारा कार्य पूर्ण करने का अपेक्षित प्रयास नहीं किया गया। कार्यो की प्रगति श्रमबल, मशीनीबल इत्यादि की कमी एवं घोर अनिच्छा के कारण प्रभावित हुई। कार्य के दौरान विभिन्न कठिनाईयों एवं संभावित खतरों का बहाना बनाकर कार्य का निर्धारित समयबद्धता के अनुरूप सम्पादित नहीं किया गया।

एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि के पश्चात दि0 28.6.11 तक ड्रेजिंग का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। कार्य प्रारम्भ नही किये जाने के कारण मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान के पत्रांक 2092 एवं 2093 दि0 28.6.11 द्वारा कम्पनी को कार्य प्रारम्भ करने हेतु निदेश दिया गया था। इसके बावजूद दोनों स्थलों पर ड्रेजिंग कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया।

फलतः राजस्थानी ट्रैक्टर से तैयार किये गये पायलट चैनल की प्रासंगिकता समाप्त हो गयी और तटबन्ध पर नदी का अत्याधिक दबाव बनने के कारण बाढ़ संघर्षस्थल कार्य कराना पड़ा। स्थिति से अवगत कराते हुए बाढ़ संघर्षात्मक कार्य की वसूली कम्पनी के विपत्र से कर लेने की चेतावनी, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान के पत्रांक 2430 दि0 20.7.11 कम्पनी को दी गयी। इसके अतिरिक्त पूर्ण स्थिति का उल्लेख करते हुए अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियन्त्रण अंचल, गोपालगंज द्वारा अपने पत्रांक 1448 दि0 2.8.11 से जमानत की राशि को जब्त कर एस0बी0डी0 एकरारनामा के तहत कम्पनी को दण्डित करने एवं निबन्धन को काली सूची में डाले जाने हेतु नोटिस भी दिया गया।

उपरोक्त कार्य मे बरती गयी अनियमितता की जॉच निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा की गयी। जॉच प्रतिवेदन के निष्कर्ष कण्डिका 6.5.0 में कम्पनी को निविदा/एकरारनामा की शर्तों का उल्लंघन एवं समय–सीमा के अन्दर कार्य समाप्ति की कार्रवाई नहीं होने के लिए उत्तरदायी मानते हुए कम्पनी के विरूद्ध निविदा/ एकरारनामा की शर्तों/ प्रावधानों के विपरीत आचरण के लिए नियमानुकूल कार्यवाही हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में पूरे मामले की सम्यक समीक्षा विभाग में की गयी। समीक्षोपरान्त उक्त कम्पनी का उक्त कार्य बिहार ठीकेदारी निबन्धन नियमावली के नियम 11(क) (II) में निहित प्रावधानों के अनुसार कदाचार के श्रेणी में पाया गया। तदोपरान्त विभागीय पत्रांक 5231 दि0 17.10.14 से उक्त कदाचार के लिए कम्पनी के निबन्धन सं0 03/2012 (प्रथमश्रेणी)को कालीसूची में डालने के सम्बन्ध में कारणपृच्छा की गयी। जबाव प्राप्त नहीं होने की स्थिति में विभागीय पत्र सं0 6540 दि0 19.12.14 से स्मारित भी किया गया। निर्धारित समय–सीमा समाप्त होने के पश्चात भी कारण पृच्छा अप्राप्त होने से स्पष्ट हैं कि संवेदक/कम्पनी को आरोपों के सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना है। इस स्थिति में विभाग द्वारा एकपक्षीय निर्णय लेते हुए धरती ड्रेजिंग एण्ड इम्फ्रास्ट्रक्चर, लि0, प्वाइन्ट ऑफ भ्यू बी0 एस0 बेगमपेट, हैदराबाद 500016 के निबन्धन सं0 3/2012 (प्रथमश्रेणी) को काली सूची में डाला जाता है।

13/02/15

अभियंता प्रमुख(मध्य)

13/2/15

ज्ञापांक–11/विविध–6–9/2014 955 दिनांक– 18.02.15

प्रतिलिपिः– श्री के0 कान्ता राव, धरती ड्रेजिंग एण्ड इन्फास्ट्रक्चर लि0 प्वाईट ऑफ व्यू बी0एस0 बेगमपेट, हैदराबाद– 500016 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख(मध्य)

ज्ञापांक–11/विविध–6–9/2014 955 दिनांक– 18.02.15

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सचिव, पथ निर्माण विभाग/सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/ सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/निदेशक, क्रय भण्डार एवं सामग्री प्रबन्धन निदेशालय/अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मोने0 अंचल–2,3 एवं बाढ़ मो0/आई0टी0 मैनेजर को बेवसाईट पर डालने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख(मध्य)

आई0टी0 मैनेजर

16